क्रम संख्या–241

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 01 अक्टूबर, 2013 ई0

आश्विन 09, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 347 / XXXVI(3) / 2013 / 421 / 36(2) / 2006

देहरादून, 01 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013"** पर दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 32 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

"उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2013"

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 32 वर्ष 2013)

{भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित}

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1971) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशेधन करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह दिनाँक 13 मार्च, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 के खण्ड (भ) में पूर्व निकायों के अतिरिक्त निम्नलिखित निकाय अन्तःस्थापित कर दिए जायेंगे; अर्थात्–

"(58) उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम;

(59) उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड;

(60) उत्तराखण्ड राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण अभिकरण;

(61) उर्दू संस्थान;

(62) पंजाबी संस्थान।"

व्यावृत्ति

3. ऐसे संशेधनों के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

निरसन और अपवाद

4. (1) उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धो के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट
प्रमुख सचिव।